# राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16142/2023

गजेंद्र शर्मा पुत्र राधा किशन शर्मा, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी फ्लैट नंबर 3, रॉकवुड्स स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, प्रताप नगर बाई पास, उदयपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा शंकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री वी.एस. भावला।

**माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा**

**आदेश(मौखिक)**

**रिपोर्ट योग्य**

**18/03/2024**

1. याचिकाकर्ता, जो लगभग 47 वर्ष का है, एक उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने की मांग करता है, जिसमें प्रतिवादियों को शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद पर आवेदन करने के लिए उसे आयु में छूट देने का आदेश दिया जाता है। याचिकाकर्ता इस आधार पर आयु में छूट का दावा करता है कि उक्त पद को लगातार कई वर्षों तक विज्ञापित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इस अंतराल के दौरान वह इसके लिए आवेदन करने के लिए अधिक आयु का हो गया है।

2. प्रतिवादी राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने दिनांक 01.09.2023 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के माध्यम से शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों के 247 पदों और 39 सहायक प्रोफेसर गृह विज्ञान को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रश्नगत पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु 01.01.2024 तक 40 वर्ष है।

3. इस पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

4. राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिकीय एवं VI श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 का नियम 14 निम्नानुसार है:-

> "14. आयु.- सेवा में पद(पदों) पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा अनुसूची-I, अनुसूची-II, अनुसूची-III तथा अनुसूची-IV तथा/अथवा किसी अन्य अनुसूची के टिप्पणी कॉलम में उल्लिखित आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली 1 जनवरी को होनी चाहिए:
> बशर्ते कि-
> (i) ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जाएगी:-
> (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
> (ख) सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष;
> (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष;
>
> (ii) उपर्युक्त वर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जिसने दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक आधार पर सेवा की थी और इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र था।
>
> (iii) अन्य भूतपूर्व कैदियों के मामले में उपर्युक्त वर्णित ऊपरी आयु सीमा में उसके द्वारा काटी गई कारावास अवधि के बराबर की छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वह दोषसिद्धि से पूर्व अधिक आयु का न हो और इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र हो।

(iv) कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की छूट दी जाएगी और यदि परिणामी आयु निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं है, तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा के भीतर माना जाएगा।

(v) राज्य, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मामलों से संबंधित तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में मूल रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(vi) विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में उसे तलाक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) सेवा में किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति उस आयु सीमा के भीतर माने जाएंगे, यदि वे आरंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के भीतर थे, भले ही वे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर चुके हों और यदि वे आरंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार के पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।

(viii) रिजर्व में स्थानांतरित किए गए रक्षा सेवा कार्मिकों अर्थात् रिजर्व के मामले में ऊपर उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(ix) सेना से मुक्त होने के बाद रिहा किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और सॉर्ट सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी आयु सीमा के भीतर माने जाएंगे, भले ही वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में आयोग में शामिल होने के समय इस तरह के पात्र थे।

(x) यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसे वर्ष में अपनी आयु के संबंध में सीधी भर्ती के लिए पात्र होता, जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो उसे अगली भर्ती में पात्र माना जाएगा, यदि उसकी आयु 3 वर्ष से अधिक नहीं है।

5. इस प्रकार आरपीएससी द्वारा कुछ श्रेणियों में आयु में छूट प्रदान की गई है, अर्थात पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष। इसी प्रकार एससी/एसटी/बीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंधित महिला उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट 10 वर्ष है। विधवा/तलाकशुदा श्रेणी के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों को भी 10 वर्ष की आयु में छूट का लाभ दिया गया है, लेकिन यह 50 वर्ष की ऊपरी आयु से अधिक नहीं है।

6. याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी से संबंधित है, और इस प्रकार, आरपीएससी द्वारा अपनाए गए आयु में छूट के मानदंडों के अनुसार किसी भी आयु में छूट का हकदार नहीं है। केवल इस आधार पर कि भर्ती लंबे अंतराल के बाद की जा रही है, याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर आयु में छूट की मांग नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए आयु में छूट प्रदान करने से उसे अन्य लोगों पर बढ़त हासिल करने का अनुचित लाभ होगा, जो सामान्य श्रेणी के हैं और अधिक आयु होने के कारण पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

7. इसके अलावा, यह नियोक्ता का विशेषाधिकार है कि वह कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार तथा मानव संसाधन की आवश्यकता के आधार पर भर्ती करे। इसलिए, केवल इसलिए कि नियोक्ता राज्य है, उसे केवल इसलिए भर्ती प्रक्रिया करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि पद रिक्त पड़े हैं। भर्ती अभियान न चलाने का यह अर्थ भी नहीं है कि जो लोग अयोग्य हो गए हैं, इस बीच, उन अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा तब तक बढ़ाई जाती रहेगी, जब तक कि राज्य अंतिम रूप से भर्ती करने का निर्णय नहीं ले लेता।

8. किसी भी मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां भी भर्ती नियमों में आयु में छूट का लाभ देने की अनुमति दी गई है, आरपीएससी द्वारा पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है, और इसलिए, इसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।

9. यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भर्ती में देरी के कारण कुछ उम्मीदवारों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं VI-ग्रेड सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2014 के अनुसार आयु में छूट के लिए उदार प्रावधान तैयार किया है। उक्त नियमों के अनुसार, यदि पूर्व में कोई भर्ती नहीं की गई है और लंबा अंतराल हो गया है, तो अधिकतम 3 वर्ष की आयु में छूट दी जा सकती है। यदि याचिकाकर्ता को 3 वर्ष की आयु में छूट दी जानी थी, तो भी वह आज 47 वर्ष का है, लेकिन वह अधिक आयु का है, क्योंकि अधिकतम स्वीकार्य आयु 40 वर्ष है।

10. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

11. खारिज।

12. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

**(**अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।